



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 27 /अका./का.प./2023

रायपुर, दिनांक 04/07/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'अठहत्तरवीं' बैठक मंगलवार दिनांक 04.07.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण

उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे | – सदस्य | 7. डॉ. अमिताभ पाण्डेय | – सदस्य |
| 2. डॉ. रोहिणी प्रसाद | – सदस्य | 8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | – सदस्य |
| 3. डॉ. ए.के. गुप्ता | – सदस्य | 9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | – सदस्य |
| 4. डॉ. आर.के. ब्रह्मे | – सदस्य | 10. श्री सत्यनारायण शर्मा | – सदस्य |
| 5. डॉ. राजीव चौधरी | – सदस्य | 11. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह | – सदस्य |
| 6. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स | – सदस्य | | |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31.05.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31.05.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
3. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.05.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।

IQAC विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. NAAC द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन, के लिए विश्वविद्यालय में पीयर टीम का दौरा 20 से 22 जुलाई, 2023 तक निर्धारित है, कार्यक्रम की जानकारी की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के वेतनमान का निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स राशि रु. 1,13,39,437/- (रुपए एक करोड़ तेरह लाख उन्चालीस हजार चार सौ सैंतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
6. सामान्य मद खाता क्र. 3065373385 से परीक्षा मद खाता क्रमांक 10049590022 में राशि रु. 1,00,00,000.00 (रुपए एक करोड़ मात्र) स्थानांतरित किए जाने की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

7. वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023-24 के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए प्रदान की गई अग्रिम राशि रु. 9,85,420/- (रुपए नौ लाख पच्चासी हजार चार सौ बीस मात्र) के समायोजन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

8. विश्वविद्यालय के 16 तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को प्रथम समयमान (क्रमांक 1 कर्मचारी को प्रथम समयमान एवं द्वितीय समयमान) वेतनमान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

9. विश्वविद्यालय के 28 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रथम समयमान वेतनमान (अधिसूचना क्रमांक 2890/सा.प्रशा./23 दिनांक 26.06.2023) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

10. विश्वविद्यालय के 114 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को देय प्रतिमाह भुगतान की नियमित स्थायी भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के 114 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियमित मासिक वेतन भुगतान करने की स्थायी स्वीकृति के साथ प्रतिमाह वेतन भुगतान के लिए कुलपति जी को अधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

11. स्व. श्री कमला प्रसाद काछी, द्वितीय श्रेणी लिपिक, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,85,406.00 (रुपए आठ लाख पच्चासी हजार चार सौ छः मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 के कार्यवृत्त के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 के कार्यवृत्त के विषय क्रमांक 3, ग्रंथालय का वार्षिक बजट 2023-24 के पुनर्वियोजन विषय, पर प्रावधानित राशि रुपए 17.90 लाख (रुपए सत्रह लाख नब्बे हजार मात्र) के स्थान पर समिति द्वारा पुनर्वियोजन के लिए प्रस्तावित वार्षिक बजट रु. 64.00 लाख को रु. 70.00 लाख करने का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा जी द्वारा किया गया, जिसे परिषद् ने पूर्ण सहमति व अनुमोदन प्रदान करते हुए तदक्रम में ग्रंथालय समिति की कार्यवृत्त के अन्य बिन्दुओं का भी अनुमोदन किया गया।

इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के IIC (Institute Innovation Council) के वर्ष 2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही में आयोजन की प्रस्तावित शृंखला के क्रियान्वयन हेतु होने वाले व्यय की अनुमानित राशि रु. 3,00,000.00 (रुपए तीन लाख मात्र) के भुगतान हेतु बजट आबंटन सामान्य प्रशासन मद से किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: सम्पुष्टि की गई।



सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. आगामी शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, आवेदन फार्म एवं अकादमिक स्कोर शीट के ड्राफ्ट के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. डॉ. दिपेन्द्र सिंह, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान के कैरियर एडवांस स्कीम के तहत स्टेज 2 से 3 पर स्तरोन्नयन/पदोन्नति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. दिपेन्द्र सिंह, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान को कैरियर एडवांस स्कीम के तहत स्टेज 2 से 3 पर स्तरोन्नयन/पदोन्नति का लाभ दिनांक 22.12.2017 से प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

4. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2019/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.06.2020 के अनुसार साक्षात्कार एवं चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2019/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.06.2020 को अंगीकृत किया गया।

5. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2016/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19.04.2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों- अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 16 के अनुपालन में प्रत्येक स्थापना में संपर्क अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-8/2016/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19.04.2023 को अंगीकृत किया गया।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक No. F. 1-5/2006 (SCT) Date 8 March, 2019 के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, के पत्र क्रमांक 3148/आर 09/भा.स./2019/38-2, दिनांक 24.12.2019 के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकीय पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में रोस्टर आधारित आरक्षण का पालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र में निहित निर्देशों के पालन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् ने आरक्षण रोस्टर के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए -

(1) विश्वविद्यालय में शिक्षकीय पदों की सीधी भर्ती के पदों पर लागू होने वाले आरक्षण रोस्टर के संबंध में -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F 1-5/2006(SCT) दिनांक 08.03.2019 के अनुसार विश्वविद्यालयों में शिक्षकीय पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र क्रमांक 3148/आर.09/भा.स./2019/38-2 दिनांक 24/12/2019 द्वारा जारी किया गया है उक्त निर्देश के परिपालन में शिक्षकीय पदों के सीधी भर्ती के लिए विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए निम्नानुसार नियम बनाया जाता है:-

I. विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर, तैयार किये जाने वाला आरक्षण रोस्टर दिनांक 24/12/2019 एवं उसके बाद के वर्षों में भरे जाने वाले पदों पर लागू होगा।

II. प्रत्येक शिक्षक संवर्ग/कैडर को पृथक से एक इकाई माना जाएगा।

- III. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 04/12/2012 द्वारा अधिसूचित अनुसूची-एक "सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर" के अनुसार रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण किया जाएगा।
- IV. रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर बिन्दु क्रमांक (1) से लागू होगा।
- V. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-50/2005/उ.शि./31 रायपुर दिनांक 01/05/2006 में उल्लेखित विभागों के अनुसार शैक्षणिक पदों का क्रम निर्धारित किया जाएगा।
- VI. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का बैकलॉग पुराने रोस्टर के अनुसार ही निकालते हुए उनकी पूर्ति की जायेगी तथा भविष्य में भर्तियों प्रचलित रोस्टर अनुसार की जायेगी।
- VII. भविष्य में स्वीकृत होने वाले नवीन पदों को वर्तमान रोस्टर के निर्धारित बिन्दु के पश्चात पद स्वीकृति के दिनांक के आधार पर क्रम निर्धारित करते हुए उनके लिए आगामी रोस्टर बिन्दु निर्धारित किया जाएगा।
- VIII. दिनांक 24/12/2019 के पूर्व भर्ती हो चुके शिक्षकों के पद रिक्त होने पर वर्तमान रोस्टर के निर्धारित बिन्दु के पश्चात रिक्त दिनांक के आधार पर क्रम निर्धारित किया जाएगा तथा आगामी रोस्टर बिन्दु निर्धारित किया जाएगा।
- IX. अगर कोई दो या उससे अधिक विषयों के पदों की स्वीकृति/रिक्तता दिनांक समान हो तो उन्हें बिन्दु क्रमांक (5) में निर्धारित क्रमानुसार में व्यवस्थित कर रोस्टर निर्धारित किया जाएगा।
- X. विभाग द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक पदों (नियमित) एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के स्वीकृत अस्थाई शैक्षणिक पदों पर अलग-अलग 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर लागू होगा।
- XI. रोस्टर सूची का बिन्दु का क्रम वरिष्ठता निर्धारण का आधार नहीं होगा।
- XII. सीधी भर्ती के शिक्षकीय पदों पर छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का वित्त निर्देश 21/2020 क्रमांक 372/260/वि./नि. /चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 एवं वित्त निर्देश 22/2020 क्रमांक 375/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.08.2020. लागू होगा।

उपरोक्त बिंदुओं का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि उक्त बिंदुओं को विनियम के रूप में भी स्थापित किया जाए।

- (2) विश्वविद्यालय की सभी नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दर्ज आरक्षण याचिका क्रमांक S.L.P (C) 19668/2022 के अध्यक्षीन होंगी।
- (3) शिक्षकों की रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए रिक्त पदों के लिए (बैकलॉग पदों को छोड़कर) मॉडल रोस्टर का अनुमोदन किया गया।

भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-


7. भौतिकी एवं एस्ट्रोफिजिक्स अध्ययनशाला के Staff Council के द्वारा Project fees under consultancy regulation के अंतर्गत प्राप्त शुल्क का वितरण के संबंध में लिए गए निर्णय का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

8. भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा यूसिक विभाग में संचालित Skill Development Centre में प्रशिक्षणार्थियों के 30 दिनों के कौशल विकास प्रशिक्षण देने के संबंध में Staff Council के द्वारा निम्नानुसार लिए गए निर्णय के संबंध में विचार करना -

प्रवेश शुल्क (फीस) - विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं के लिए राशि रु. 1500/-
अन्य के लिए राशि रु. 2500/-

निर्णय: अनुमोदन किया गया।



भू-विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. B.Voc in Gem & Jewellery Professional Course में 10 से 20 सीट वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: B.Voc in Gem & Jewellery Professional पाठ्यक्रम में 10 से 20 सीट बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया गया। बढ़ी हुई 10 सीटों पर 10+2 योग्यता वाले छात्रों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाए किंतु इन रिक्त सीटों पर स्नातक स्तर के आवेदक First Come first serve के आधार पर भी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ाई जा रही सीटों के सापेक्ष पाठ्यक्रम शुल्क रु. 15000/- (रुपए पंद्रह हजार मात्र) होगा।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. एम.एस-सी. रसायन के Payment Seat के अंतर्गत शुल्क की राशि 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र) से 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: रसायन अध्ययनशाला के स्टॉफ कौंसिल में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 2023-24 में एम.एस-सी. रसायन में प्रवेश प्राप्त करने वाले Payment Seat छात्र के फीस में निम्नानुसार वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया-

फीस	वर्तमान शुल्क	शुल्क वृद्धि
पेमेंट सीट	20,000/- प्रति सेमेस्टर	25,000/- प्रति सेमेस्टर

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 12.06.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

12. पं. रविशंकर शुक्ल मूर्ति चौक में ICICI Bank का A.T.M. स्थापित किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर में पं. रविशंकर शुक्ल मूर्ति चौक में पुराने निर्मित कक्ष को मरम्मत कर ICICI Bank का A.T.M. स्थापित करने, राशि रु. 2,000/- (रुपए दो हजार मात्र) मासिक संधारण शुल्क तथा विद्युत भार स्वयं ICICI Bank के द्वारा वहन किए जाने के शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. विश्वविद्यालय कैम्पस में वाई-फाई स्थापना देयक की शेष 25 प्रतिशत राशि रु. 10,71,149=00 (रुपए दस लाख इकहत्तर हजार एक सौ उनचास मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

14. विश्वविद्यालय कैम्पस में वाई-फाई स्थापना अतिरिक्त सामग्री देयक रु. 10,32,509=00 (रुपए दस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ नौ मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

उपाधि विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. छात्र जयानंद मौर्य को दीक्षांत समारोह के पूर्व Post Doctoral Fellowship हेतु उपाधि प्रस्तुत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना क्रमांक 3762, दिनांक 25.04.2023 के अनुक्रम में जारी किए गए उपाधि प्रमाण-पत्र की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।



मूल विज्ञान केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. मूल विज्ञान केंद्र में पंचवर्षीय एकीकृत एम.एस-सी. पाठ्यक्रम में संचालित जीव विज्ञान संकाय-20 सीट एवं गणित संकाय-20 सीट निर्धारित है, में 10-10 सीट वृद्धि कर Payment Seat के तहत रु. 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र) शुल्क किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सीट वृद्धि से संबंधित 20 सीटों पर प्रवेशित छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति प्रदान नहीं किए जाने के निर्णय के साथ प्रस्तावित सीट वृद्धि तथा शुल्क संरचना का अनुमोदन किया गया।

प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. अयोध्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से MoU के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-


1. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में 250 KVA का साइलेंट जनरेटर इंस्टालेशन पश्चात् फर्म M/s Ajay Enterprises, B/06, C-138, Priyadarshini Nagar, Near Airfair Service Center, Raipur (C.G.) के द्वारा प्रस्तुत क्रय देयक राशि रु. 23,65,158/- (रुपए तेईस लाख पैसठ हजार एक सौ अंठावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।


निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

2. यू.जी.सी. गार्ड लाईन के क्रम में विश्वविद्यालय में Professor of Practice & Visiting Professor के संबंध में विचार करना।

निर्णय: यू.जी.सी. गार्ड लाईन के क्रम में विश्वविद्यालय में Professor of Practice & Visiting Professor का रेगुलेशन बनाकर शीघ्र अनुमोदन प्राप्त किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 28 /अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)